

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)**  
**संख्या :- 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदाधिकारी)-101/2019-1692**

प्रेषक,

जय सिंह, मा०प्र०स०  
 निवेशक,  
 भू-अभिलेख एवं परिमाप,  
 बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,  
 बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरबल, शिवहर, किशनगंज,  
 अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प० चम्पारण,  
 बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक :- [16-06-2021]

विषव :-

विगत सर्वेक्षण का अधिकार-अभिलेख एवं मानचित्र अनुपलब्ध रहने की स्थिति  
 में की जानेवाली कार्यवाही के संबंध में।

नहाय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खगड़िया, जमुई एवं कतिपय अन्य  
 जिलों से प्राप्त पत्र एवं हुए बैठकों में यह तथ्य प्रतिवेदित किया गया कि प्रपत्र-5 को तैयार  
 करने में विगत अधिकार-अभिलेखों के अनुपलब्धता के कारण कठिनाई उत्पन्न हो रही है।  
 साथ ही कुछ मौजों के विगत सर्वेक्षण का विभिन्न मौजा का मानचित्र उपलब्ध नहीं है।

इस आलोक में निदेशालय एवं विभागीय स्तर पर दिनांक-28.04.2021 एवं  
 09.06.2021 को बैठक किया गया एवं बैठक में मामले की समीक्षा पश्चात् कतिपय परामर्श  
 प्राप्त हुए जिनके सहयोग से विगत सर्वेक्षण के खतियानों एवं नक्शों को उपलब्ध किया जा  
 सकता है। यदि ये उपलब्ध नहीं होते हैं तो जिन वैकल्पिक कागजातों की सहायता से ली  
 जा सकती है, उसके संबंध भी परामर्श प्राप्त हुए। इन परामर्शों के आधार पर प्रपत्र-5 के  
 निर्माण एवं नक्शों को उपलब्ध करने में सहायता मिल सकती है।

उक्त के आलोक में दिनांक-28.04.2021 एवं 09.06.2021 को हुए समीक्षात्मक  
 बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदाधिकारी)-101/2019-1653  
 दिनांक-11.06.2021 की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त  
 कार्यवाई वर्णित परामर्शों के आलोक में यथोचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।  
 अनुलग्नक— यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)  
 निवेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप  
 16-06-2021

संख्या :- 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदाधिकारी)-101/2019-1692 पटना, दिनांक 16-06-2021

प्रतिलिपि:- समाहर्ता, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरबल, शिवहर,  
 किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प० चम्पारण, बांका,  
 जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है  
 कि बंदोबस्त पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार वांछित कागजात/अभिलेख आदि विधिवत्  
 उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाएगा।

निवेशक  
 भू-अभिलेख एवं परिमाप

संख्या :— 17—विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदाधिकारी)–101 / 2019, 16.92 पटना, दिनांक 16.06.2021  
प्रतिलिपि— संबंधित जिलों के सभी निदेशालय, स्तरीय नोडल पदाधिकारियों, को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू—अभिलेख एवं परिमाप

संख्या :— 17—विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदाधिकारी)–101 / 2019, 16.92 पटना, दिनांक 16.06.2021  
प्रतिलिपि— प्रशास्त्रा पदाधिकारी, भू—अभिलेख एवं परिमाप, विहार, पटना को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापाक: 17—विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदाधिकारी)–101 / 2019, 16.92 पटना, दिनांक :— 16.06.2021  
प्रतिलिपि— सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सेल,  
भू—अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं येबसाईट पर अपलोड करने हेतु  
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू—अभिलेख एवं परिमाप

16/2

दिनांक—28.04.2021 एवं दिनांक—09.06.2021 को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अधिकारी अभिलेख एवं मानचित्र अनुपलब्ध रहने की स्थिति में प्रपत्र-5 का लेखन एवं विशेष सर्वेक्षण कार्य करने हेतु वैकल्पिक कागजातों से सहायता लेने के संबंध में जूम के माध्यम से हुई बैठक की कार्यवाही।

दिनांक—28.04.2021 को हुए बैठक में श्री उचामल किशोर पाठक, भा०प्र०स०, सेवा-गिर्वत्, श्री विनय कुमार ठाकुर, भा०प्र०स०, उप सचिव, राजभवन, बिहार, पटना एवं श्री दुश्मित कुमार चिंह, भा०प्र०स०, आपा राजिव, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना भाग लिए।

दिनांक—09.06.2021 श्री बैठक में श्री कचन कपूर, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री घदसेखर विद्यार्थी, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री सुशील कुमार, निदेशक, भू-अज्ञन, श्री मुकुल कुमार, उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री नवल किशोर, संयुक्त निदेशक, घकघन्दी, श्री अग्नि कुमार चिंह, घकघन्दी अनुदेशक, घकघन्दी, एवं श्रीमती राहुला खातून, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग ने बैठक में भाग लिए।

2. निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप द्वारा बताया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्तु प्रतिभ्या अन्तर्गत विगत सर्वेक्षण पश्चात् अधिसूचित अधिकारी-अभिलेख/मानचित्र के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में प्रथम घरण के 20 जिलों से यह सूचना दी जा रही है कि इन सामलों में प्रपत्र-5 किस प्रकार तैयार किया जाए, के संबंध मानदर्शन दिया जाए।

3. बैठक में उपस्थित सदस्यों से विशेष पश्चात् यह स्पष्ट हुआ कि विगत सर्वेक्षण के अधिसूचित अधिकारी-अभिलेखों की अनुपलब्धता की मीणावार निम्न स्थिति हो सकती है—

- (क) अधिकारी-अभिलेख अनुपलब्ध, परतु नवशा उपलब्ध।
- (ख) अधिकारी-अभिलेख उपलब्ध, परतु नवशा अनुपलब्ध।
- (ग) अधिकारी-अभिलेख एवं नवशा दानों अनुपलब्ध।

4. दिनांक—28.04.2021 एवं 09.06.2021 को हुई बैठक पश्चात् निम्न महत्वपूर्ण सुझाव विगत सर्वेक्षण के अधिकारी-अभिलेखों एवं मानचित्र अनुपलब्ध होने की स्थिति में द्वारा—

- (i) रमी अनुभवनका अधिकार एवं मानचित्रों की ग्रामवास (चादरों की स्पष्ट संख्या के साथ) सूची जिला राजस्व कार्यालय एवं अंचलों से प्रमाण पत्र के साथ प्राप्त कर ली जाय।
- (ii) जिन गौजों के अधिकारी-अभिलेख अंचलों एवं जिला अभिलेखागार में अनुपलब्ध है उन सामलों में यह जीव कर ली जाय कि अनुपलब्धता के क्षमा कारण है एवं आवश्यकतानुसार संबंधित थाना में स्टेशन डायरी इट्री/प्रायगिकों दर्ज करने की कार्रवाई दी जाय। यदि पूर्व में विगत सर्वेक्षण के खतियान खो जाने कारण नष्ट होने की घटना हुई हो तो इसकी सूचना स्थानीय थाना की स्टेशन डायरी इट्री तस्वीर की गई हो, इस आशय की उपलब्धी जिला कार्यालय, राजस्व राज्य की स्तर से कर ली जाय।
- (iii) जिला अभिलेखागार एवं संबंधित अंचल कार्यालय में जिन मौजों का विगत सर्वेक्षण का खतियान अनुपलब्ध है, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाना अपेक्षित होगा।
- (iv) जिला नजारत/जिला का सामान्य शाखा/बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से जिन मौजों के नवशा के सभी आदर या कुछ आदर अनुपलब्ध हो तो उनसे भी इस आशय का प्रमाण-पत्र कर लिया जाना अपेक्षित होगा।

- (vi) अंधल कार्यालय में भी नवशा रहते हैं, उनसे भी नवशा अनुपलब्ध रहने की दिनांक—पत्र प्राप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। समझ है कि इन सभी कार्यालयों प्रमाण—पत्र प्राप्त करने के दौरान वाचित नवशा उपलब्ध हो सकते।
- (vii) यह भी समझ है कि अंधल उमीदों के पास भी अनुपलब्ध नवशा की प्रति उपलब्ध हो जाए। अतः उनसे भी नवशा अनुपलब्ध होने का प्रमाण—पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
- (viii) विगत वर्ष में पूँजीजन के मामलों में खतियान की प्रति बनाई गई है, उत्ता इन अभिलेखों से भी खतियान की प्रति विधिवत् प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है, यदि उक्ता मीडे का खतियान दर्तावान में अनुपलब्ध हो तो।
- (ix) इन राजस्व द्वामों का खतियान/नवशा अनुपलब्ध है यही रथानीय स्तर पर रेयतों/अन्य स्त्रीतों यथा सिवाई विमान के अधीन कार्यालय वा विनाम के अधीन कार्यालय, पथ प्रमाणल विमान आदि के पास पूर्व के खतियान का नकल एवं नवशा उपलब्ध हो सकता है।
- (x) विगत खतियान/नवशा उपलब्ध कराने के लिए लगातार तीन दिनों तक रामाचार—पत्र एवं अन्य संचार माध्यमों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर अनुपलब्ध खतियान/नवशा उक्त स्त्रीतों से प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।
- (xi) इस राखद में यह भी अपेक्षित होगा कि रेयतों एवं अन्य स्त्रीतों से प्राप्त होने वाले खतियान की प्रति/नकल एवं सत्यापन संबंधित जिले के अभिलेखागार से करा लिया जाय।
- (xii) साथ ही रेयतों एवं अन्य स्त्रीतों से प्राप्त होनेवाले नवशों का सत्यापन छिह्न सर्वक्षण कार्यालय, गुलजारबाग पटना से कराया जाना अपेक्षित होगा।
- (xiii) निम्न कागजातों के आधार पर भी प्रपत्र-5 तैयार किया जा सकता है यशर्त उन कागजों की सत्यापित प्रति जिला के समाहर्ता के स्तर से निर्णय प्रश्नात् जिला अभिलेखागार/अंधल कार्यालय से बदोहरत कार्यालयों की उपलब्ध कराया जाए—
- (क) प्रपत्र-5 में खेसदों की विवरणी के लिए पूर्व में हल्का स्तर पर तैयार की गई खेसदों को आधार पर तैयार की जा सकती है।
- (ख) पूर्व में जमीदारों द्वारा सरकार दो भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के आधार पर जमीदारी रिटर्न दाखिल किया नया था। यदि इन जमीदारी रिटर्न पर सभी विधिसम्मत कार्रवाई संपन्न कर ली गई तो इनके आधार पर भी प्रपत्र-5 तैयार करने की कार्रवाई की जा सकती है, याहाँ कि उक्त मीजा पुनर्शक्ति सही अधिकृत न हो।

(ग) राज्य के पुराने अभिलेखगार्गों में पूर्व के समय के जनीदारों का एक "तीजी बस्ता" हुआ करता था। इन तीजी दरता में खतियान उन्मुख दरतावेजों की सहायता से प्रपत्र-5 को तैयार किया जा सकता है।

(घ) विभाग शर्वेजों के पश्चात अधिसूचित खतियान अनुपलब्ध होने की स्थिति में जिला अभिलेखगार्गों में उक्त शर्वेज के दौरान तैयार खस्ता पत्ती एवं प्राप्तप्र खतियान जो प्राकाशित हुए होंगे आपको प्राप्ति हेतु के आधार पर भी प्रपत्र-5 विशेषकर सरकारी भूमि के मामले में, तैयार करने का निर्णय लिया जा सकता है।

(ङ) राजस्व एवं भूमि सुझार विभाग, विहार पट्टन के पत्रांक-19(७)पा०, दिनांक- 03.01.2016 जा क्षतिग्रस्त जमावन्दी पासी को पुनर्गठित करने के सम्बन्ध में है, को भी सन्दर्भित किया गया। उक्त पत्र में जिन 15 प्रकार के अभिलेखों/पर्जीयों के आधार जमावदियों को पुनर्गठित करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, उसका सत्ताप्रतिशत अनुपालग्न अंदर स्तर पर बताया जाना सुनिश्चित किया जाय।

साथ ही इन के आधार पर भी प्रपत्र-5 के निर्माण का निर्णय लिया जा सकता है।

(घ) जिन मामलों में विभाग अधिकृत खतियान अनुपलब्ध हो उन भौजों के रैयतों द्वारा प्रपत्र-2 में दी गई स्वधोषणा में दिए गए विवरण का रैयतवाए स्थल सत्यापत किया जाना अपेक्षित होगा। साथ ही उपरोक्त (क) से (उ) तक में वर्णित कागजातों वा आधार पर सत्यापन किया जाना अपेक्षित होगा। तत्पश्चात ऐसे मामलों में जो प्रपत्र-5 तैयार होग, उनका घाम-साना में अनुमोदन अपेक्षित होगा तथा ऐसे मामलों में दखल-कब्जा का बंदू स्पष्ट सामना नहीं हो, इस संबंध में अवगत होने के पश्चात इनके आधार पर भी प्रपत्र-5 अंतिम रूप से तैयार किया जा सकता है एवं ऐसे सत्यापित ऑफिजों का अनुमोदन ग्राम-सभा की माझ्यम से किया जाए।

(xv) चक्रवर्ती अभियान के तहत कई भौजों का सी०एस०/आर०एस० खतियान एवं नवशा चक्रवर्ती कार्यालयों द्वारा प्राप्त किया गया है और यह समत है कि अनुपलब्ध खतियान एवं नवशा इन कार्यालयों द्वारा बापस न किया गया हो। अतः ऐसे मामलों में जौध कर अनुपलब्ध खतियान एवं नवशा उपलब्ध कराया जा सकता है।

साथ ही चक्रवर्ती अभियान के तहत पूर्ण खतियान के आधार पर प्रपत्र-17 को भाग-1 तैयार किया गया था, जिन भौजों का खतियान अनुपलब्ध है, उन भौजों का प्रपत्र-5 तैयार करने में प्रपत्र-17 को भाग-1 की मदद ही जा सकती है।

(xvi) सिविल न्यायालय द्वारा कलिपय मामलों में भौजों का खतियान प्रदर्श देतु मांग की जाती है और यह समत है कि न्यायालय वा भौजों का खतियान बापस न हुआ हो। ऐसे मामलों में अंतर कार्यालय, जिला विधि शाखा एवं जिला अभिलेखगार सरकारी अधिकारी तथा लोक अभियोजक से संपर्क कर अनुपलब्ध खतियानों को न्यायालयों से विधिवत प्राप्त कर सकते हैं।

५. बैठक के दौरान कुछ अन्य सुझाव भी प्राप्त हुए जो विशेष सर्वेज के कार्य में सहायक होंगे-

- (i) जिन मौजूदों के खतियान अनुपलब्ध हो, वहाँ पर्याप्त उपलब्ध है तो उनमें नवकारी में सौन्दर्यकारी भूमि के विन्ह स्पष्ट रूप से अंकित होती है, उसके आधार पर भी सरकारी भूमि ग्रामीण उनके पहचाने अधिकार विभिन्न करने की कार्रवाई की जा सकती है।

(ii) जिन मौजूदों के खतियान अनुपलब्ध हो उक्त राजस्व ग्राम का अग्रर सी0एस०/आर0एस० नवकारा उपलब्ध है तो विहार सर्वेषण कार्यालय गुलजारबाग पटना से उक्त राजस्व ग्राम का सी0एस०/आर0एस० नवकारा के आधार पर छोसरावार रक्षा प्राप्त किया जा सकता है, जिनका उपयोग प्रपत्र-५ के लिए में हो सकता है।

(iii) अंगली में भी सरकारी भूमि/सेरातों/भू-हडवंदी से अंजित भूमि की पंजी होती है। अंगल कार्यालय द्वारा भी इन पंजियों से सत्यापित सूची की मान कर प्रपत्र-५ तैयार करने में मदद होती जा सकती है।

(iv) विभिन्न मौजूदों के खतियान अनुपलब्ध है परन्तु विगत कई वार्षी से राजस्व कर्मचारियों द्वारा सरकारी भूमि एवं सेरातों की पंजी हल्का कघड़ी में संधारित रखा जाता है। उस स्तर से भी अंगलाधिकारी द्वारा सत्यापित सरकारी भूमि की विवरणी प्राप्त की जा सकती है। इन ग्रामीणों में हल्का कर्मचारियों के स्तर से अग्रर सरकारी भूमि की पंजी उनके हल्का कघड़ी में नहीं है तो इस आशय का प्रमाण-पत्र विविवत प्राप्त कर लिया जाय।

(v) कठुङ्ग जिलों यथा—दरभंगा प्रमुख जिले एवं अन्य जिलों में विगत सर्वेषण (आर0एस०) के खतियान एवं नवकारा अधिसूचित किए जाने के बावजूद अभी भी जमावंदी सी0एस० खतियान के आधार पर है। ऐसे जिलों में यह अवश्यक होगा कि वहाँ विशेष सर्वेषण प्राप्त होने से पूर्व जमावंदी को नये अधिकार—अभिहेत्तु के आधार पर अधारान/संशोधन कर लिया जाय।

(vi) सरकारी भूमि जो अंजिन, दान, विशेष हस्तातरण से विभिन्न विभागों को प्राप्त हुआ है और उनकी जमावंदी दर्ज नहीं है। ऐसे ग्रामों में अधिकार उक्त विभागों के स्तर से संक्रियता के साथ अंगल कार्यालय ने जमावंदी कारब्द करवा जाना सुनिश्चित किया जाय।

अब से जानवर बिलकुल की जारी-जारी समाप्त की गई।

八四

प्रियोग

## मू—अभिलेख एवं परिशाप

बिहार, पटना।

**ज्ञापाक: 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पसार)-101/2019 1653 पटना, दिनांक -11-6-2021**  
**प्रतिलिपि-** श्री इयानल किशोर पाठक, बिहारीलाल, (रोपा-गिरुत)/श्री कंचन कपूर संयुक्त संघिय राजस्व एड मूर्मि सुधार विभाग/श्री बद्रशेखर विद्याधी, संयुक्त संघिय राजस्व एवं मूर्मि सुधार विभाग/श्री सुशील कुमार, निदेशक, भू-अर्जन/श्री मुकुल कुमार उप संघिय राजस्व एवं मूर्मि सुधार विभाग/श्री नवल छिशार, संयुक्त निदेशक, धक्कदन्दी निदेशालय/श्री अनिल कुमार तिहार, धक्कदन्दी निदेशक, धक्कदन्दी निदेशालय/श्री विनय कुमार ठाकुर, बिहारीलाल, उप संघिय, राजभवन/श्री रुद्रेश युमार शिंडे बिहारीलाल, आप संघिय, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग/श्रीमती साईदा खातून उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारखाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाड़ हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापक: 17-पिंडी सर्वेक्षण (नोडल पदा०)-101/2019 1653 पटना, दिनांक: -11-06-2021  
प्रतिलिपि:- राष्ट्रीय सुरक्षि सिंह एम०आई०एस० सांचा एनालिस्ट, आई०टी०सैल, भू-अभिलेख एवं  
परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं ज्ञापनपत्र कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक  
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापक: 17-पिंडी सर्वेक्षण (नोडल पदा०)-101/2019 1653 पटना, दिनांक: -11-06-2021  
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य राज्यव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, विहार, पटना के प्रधान आर्थ  
संग्रह का सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक  
भू-अभिलेख एवं परिमाप